(iii) NEED FOR A DRAINAGE SYSTEM IN THE CHAMBAL VALLEY

श्री छविराम अर्गल (मुरैना): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम, 377 के अन्तर्गत चम्बल क्षेत्र में जल-निकास एवं जल निस्तारण की आवश्यकता तथा चम्बल-बीहड़ों के कटाव को रोकने हेतु इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चम्बल क्षेत्र में सिचाई के पूर्व भी जगह जगह पर जल निकास की समस्या बनी रही है। उदाहरण के तौर पर जौरा एवं मेमई क्षेत्र में अभी तक सिंचाई नहीं थी, परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में भूमि का जलस्तर बहुत ही ऊंचा बना रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में फसलों की पैदावार बहुत ही कम होती थी और कुछ में तो घास भी नहीं उगती थी।

जहां चम्बल, का पानी इस क्षेत्र के लिये वरदान बना है उसी प्रकार पानी का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण यह हजारों एकड़ भूमि के लिये अभिशाप भी बन गया है। जब से चम्बल सिंचाई प्रणाली से पांच लाख साठ हजार एकड में सिचाई हो रही है, गत 10–12 वर्षों में करीब-करीब दो लाख एकड़ भूमि में जल-निकास एवं बीहड़ों के कटाव की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। यह समस्या दिन-प्रति-दिन उग्र रूप धारण करती जा रही है।

इस समस्या के कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं :—

1. चम्बल नहर प्रणाली से रिसान का पानी आसपास के क्षेत्र में बुरी तरह भरा रहता है, जिसके कारण सबलगढ़, पहाड़गढ़, जौरा, पोरसा, मुरैना, अम्बाह, मिरधान, दिमनी चांदपुर, गौहद, भिण्ड, मेहगांव आदि क्षेत्रों में लाखों एकड़ भूमि काश्त से वंचित हो चुकी है तथा बीहड़ भी बन चुकी है।

2. चम्बल-नहर प्रणाली में जल-निस्तारण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कई स्थानों पर माइनर खेतों तक ले जा कर छोड़ दी गई है तथा शासकीय नालों पर कृषकों ने अतिक्रमण कर नाले बन्द कर दिये हैं, जिस का ज्वलंत उदाहरण ग्वालियर स नूराबाद तक तथा भिण्ड रोड पर बरैया से मेहगांव तक स्थान-स्थान पर पुलिया तो नजर आती है, परन्तु नाले कहीं नजर नहीं आते हैं। इस कारण नैसर्गिक ड्रेनेज का जो प्रावधान था, वह भी नष्ट हो चुका है।

इन्हीं कारणों से वर्षा ऋतु के पश्चात् जब भूमिगत जल का वाष्पीकरण होता है तो पानी में घुला हुआ क्षार तथा लवण भूमि की सतह पर अधिक मात्रा में जमता जाता है एवं समय के साथ-साथ यह समस्या इतना गम्भीर रूप धारण कर रही है कि सिर्फ चम्बल क्षेत्र ही नहीं नदियों के कछार भी नष्ट होते जा रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अटेर तहसील के तरसोखर, चोमी बहेरा, आदि ग्रामों में कई हजार एकड़ भूमि में दलदल बन गई है।

अतः इस समस्या के निवारण हेतु तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो चम्बल नहर प्रणाली से तो पांच लाख साठ हजार एकड़ क्षेत्र में ही पानी मिलने वाला है, परन्तु इससे कहीं अधिक भूमि कटाव से नष्ट हो जायगी। इसके लिये इस क्षेत्र में जल-निस्तारण तथा क्षारीय भूमि का रिक्लेमेशन तत्काल करने की आवश्यकता है।

यद्यपि सिचाई विभाग ने ड्रेनेज का कार्य हाथ में लिया है, परन्तु इसके लिये हमारे पास न तो आवश्यक ज्ञान है और न ही अनुभव प्राप्त है। योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के माध्यम से चम्बल क्षेत्र में जल निकास तथा क्षारीय एवं लवणीय भूमि के उद्धार हेतु अनुसंधान के लिये मार्गदर्शन प्राप्त करना नितान्त आवश्यक हैं। इस गम्भीर समस्या को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को इस

[श्री छविराम अर्गल]

दवा मे अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के लिये ब डाला जाय। एक अनुसन्धान केन्द्र जल निकास के लिए तथा दूसरा क्षारीय एव लवणीय भूमि का उद्धार करने हेतु कायम किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अत यह आवश्यक है कि भारत सरकार, योजना आयोग तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद से सम्पर्क साध कर ऊपर वर्णित दो केन्द्र तुरन्त कायम कराये जाये। इस कार्य हेतु भारत सरकार को केन्द्र स्थापित करने के लिये सेमई मे 500–700 एकड शासकीय भूमि, क्षारीय तथा लवणीय भूमि पर अनुसन्धान कार्य करने हेतु दी जा सकती है व इस प्रकार जल निस्तारण अनुसन्धान हेतु गोहद मे जो शासकीय कृषि प्रक्षेत्र करीब 150 एकड भूमि पर हाल ही मे स्थापित किया गया है, दिया जा सकता है।

यदि ये दो केन्द्र चम्बल क्षेत्र मे स्थापित किये जाते है तो हजारो एकड भूमि को नष्ट होने से बचाया जा सकता है और हम जो ड्रेनेज का कार्यक्रम लेने वाले है, जिस पर लाखो रुपया खर्च होने वाला है, उसे सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। सन् 1972 के इरिगेशन कमीशन ने चम्बल कमाण्ड प्रोजेक्ट को सिक स्कीम बनाया है। क्या केन्द्र सरकार बाढ नियंत्रण योजनान्तर्गत मुरैना मे जल निकास एव कटते हुए बीहडो को बचाने की तुरन्त योजना बनायेगे।

बीहडो का कटाव भी तेज गति से हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्रीय शासन से माग करता हू—चम्बल बीहडो एवं कृषि योग्य लाखो एकड भूमि जो बरसात मे प्रति वर्ष कटती जा रही है, इन बीहडो की भूमि को जो काश्त योग्य है, उसे भूमिहीन हरिजन और आदिवासियो मे बाट दिया जाय। जो बाकी बीहडी की भूमि है, जो कृषि योग्य नही है, वहा चम्बल बीहडो मे वृक्षारोपण की कार्यवाही युद्धस्तर पर की जाय, ताकि कृषि योग्य भूमि के कटाव एवं बीहडो के कटाव को रोका जा सके। चम्बल क्षेत्र मे एक भारी वृद्ध समस्या सिचाई आबयाना की है। सिचाई आबयाना वसूल करने मे एग्रीमेन्ट प्रथा समाप्त कर किसानो को भ्रष्टाचार दुचद, तिचद लगान एव अर्थ दण्ड से बचाया जाए। सिंचाई के साथ वसूल करने की कार्यवाही की जाए तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा वे किसानो को राहत व आबयाना की सरकार को प्राप्त होगा ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य मे हैं। मध्यप्रदेश मे भी लागू की जाएं।

MR. SPEAKER: Prof Dalip CHAKRAVARTY—he is not here. Hon Prime Minister

---

11.55 hrs.

MOTION *RE* DRAFT FIVE YEAR PLAN 1978—83—*Contd*

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Mr. Speaker, Sir, I heard the hon Members when they gave their views on the Draft Five Year Plan, partically through out the debate, and I listened carefully to what they said even though at one stage a remark was made that I was not here to listen to the debate

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): That is permissible.

SHRI MORARJI DESAI: It is permissible I am not objecting to it. Hon Members have a right to say what they like but it is for them to consider whether what they say is proper or not I do not want to dwell on it further.

It was even contended that I believe I am always right and that I do not think that others can have anything to say. Well, there could not be a wilder statement than that and if I really believe that, then I think I would be a person totally devoid of all intelligence. No person can ever claim that he knows everything and that he alone is right and nobody else